



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21082025-265552  
CG-MH-E-21082025-265552

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3693]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947

No. 3693]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3797(ई).—जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 903 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I), रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए में प्रकाशित किया गया था, द्वारा केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना, गुजरात राज्य में जिला कच्छ अबडासा, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (25 कि.मी.) को भूमि अधिग्रहण परियोजना (पश्चिम रेलवे) के निष्पादन, रखरखाव और संचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया था।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र “कच्छ मित्र” (गुजराती), “यंग लीडर (हिंदी) & “टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी), 25 फरवरी, 2025 में उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी।

### अनुसूची

**विषय :** विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् गुजरात राज्य में जिला कच्छ अबडासा, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) के लिए, संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

#### जिला: कच्छ तालुका : भुज

क्र. स.	गाँव का नाम	ब्लॉक नंबर / सर्वेक्षण संख्या	प्लॉट नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (in Sqm)	भूमि मालिक / इच्छित व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भुजसीम	488/1	11	निजी	बिन खेती	87.34	चंद्रभान पारुमल उडेरनाणी
2	भुजसीम	488/1	12	निजी	बिन खेती	108.88	राठौड़ विक्रमसिंह जिवुभा
3	भुजसीम	488/1	43	निजी	बिन खेती	16.65	जुणेजा सलेमान मामद
4	भुजसीम	488/1	44	निजी	बिन खेती	190.07	जुणेजा सलेमान मामद
5	भुजसीम	488/1	45	निजी	बिन खेती	115.98	चंद्रभान पारुमल उडेरनाणी
6	भुजसीम	488/1	46	निजी	बिन खेती	2.68	चंद्रभान पारुमल उडेरनाणी
7	भुजसीम	488/1	47	निजी	बिन खेती	1.18	चंद्रभान पारुमल उडेरनाणी
8	भुजसीम	488/1	48	निजी	बिन खेती	132.81	राठौड़ विक्रमसिंह जिवुभा
9	भुजसीम	488/1	49	निजी	बिन खेती	158.00	राठौड़ विक्रमसिंह जिवुभा
10	भुजसीम	488/1	50	निजी	बिन खेती	51.64	राठौड़ विक्रमसिंह जिवुभा
11	भुजसीम	488/1	आंतरिक रास्ता	निजी	बिन खेती	224.16	प्रागजी दलीचन्द्र शाह
12	भुजसीम	489	सामान्य प्लॉट	निजी	बिन खेती	86.00	अशोक जयेन्द्र लोदरिया

[फा. सं. E.-609378-03]

एस.आर.प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

## MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

## NOTIFICATION

Mumbai, the 19th August, 2025

**S.O. 3797(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 903 (E), dated the 20<sup>th</sup> February, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (I), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, and operation of the Special Railway Project namely, Bhuj Naliya Gauge Conversion extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Kutch Mitra” (Gujarati), “Times Of India” (English), & “Yung Leader ” (Hindi) dated 25<sup>th</sup> February, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act; And, whereas, nil objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed; And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (II) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEUDLE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the District Kutch for Special Railway Project namely Bhuj Naliya Gauge Conversion extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch) in the State of Gujarat.**

**Name Of District: - Kutch Tauka: Bhuj**

Sr. No.	Name of the village	Block Number/ Survey No.	Plot No	Nature of Land	Nature of Land.	Area in Sq. Mt.	Name of the land owner /interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bhuj Sim	488/1	11	Private	Non-Agriculture	87.34	Chandrabhan Parumal Udernani
2	Bhuj Sim	488/1	12	Private	Non-Agriculture	108.88	Rathod Vikram Singh Jivubha
3	Bhuj Sim	488/1	43	Private	Non-Agriculture	16.65	Juneja Saleman Mamad
4	Bhuj Sim	488/1	44	Private	Non-Agriculture	190.07	Juneja Saleman Mamad
5	Bhuj Sim	488/1	45	Private	Non-Agriculture	115.98	Chandrabhan Parumal Udernani
6	Bhuj Sim	488/1	46	Private	Non-Agriculture	2.68	Chandrabhan Parumal Udernani
7	Bhuj Sim	488/1	47	Private	Non-Agriculture	1.18	Chandrabhan Parumal Udernani
8	Bhuj Sim	488/1	48	Private	Non-Agriculture	132.81	Rathod Vikram Singh Jivubha
9	Bhuj Sim	488/1	49	Private	Non-	158.00	Rathod Vikram Singh Jivubha

Sr. No.	Name of the village	Block Number/ Survey No.	Plot No	Nature of Land	Nature of Land.	Area in Sq. Mt.	Name of the land owner /interested persons
					Agriculture		
10	Bhuj Sim	488/1	50	Private	Non-Agriculture	51.64	Rathod Vikram Singh Jivubha
11	Bhuj Sim	488/1	Internal Rasta	Private	Non-Agriculture	224.16	Pragji Dalichandra Shah
12	Bhuj Sim	489	Comon Plot	Private	Non-Agriculture	86.00	Ashok Jayendra Lodariya

[F. No. E.-609378-03]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager (C) II